न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 180/2022

अनवान : –

1. सन्दीप कुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. नत्थुराम उर्फ नत्थु पुत्र रावताराम उर्फ रावता जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. महेन्द्र पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. सुलतान पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
4. हनुमान पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5. कौशल्या पुत्री नत्थुराम पत्नी रोहताश ज्याणी जाति जाट निवासी कालवाना तहसील डबवाली।
6. सन्तोष पुत्री नत्थुराम पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी गुडिया खेड़ा तहसील सिरसा।
7. प्रदीप पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
8. पुजा पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
10. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**
3. श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक: 12/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 124/120 की कुल 6.5000 हैक्ट भूमि व रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 63/54 की कुल 3.3650 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि सायल की दादालाई/पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त भूमि में सायल व गैरसायल 2 व गैरसायल स0 7 ता 8 का बहिब 1/6 हिस्सा व गैरसायल स0 1 व गैरसायल स0 3 ता 6 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है

वाद भूमि वर्तमान राज[illegible] के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल स0 1 अपने नाम दर्ज [illegible] व्यक्तियों को बेचान [illegible] चाहता है यदि गैरसायल संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो [illegible]ता है तो सायल को [illegible]य क्षति होगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाना चाहता है कि उक्त वाद भूमि को ताफैसला दावा रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 124/120 की कुल 6.5000 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा ललानिया के खाता स0 63/54 की कुल 3.3650 हैक्ट भूमि में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 इस आशय की जारी की गई की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 7, 8 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की रोही मौजा लाखासर की वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खान दान की जददी जायदाद होना स्वीकार है लेकिन रोही मौजा ललानिया की वाद भूमि गैरसायल स0 1 को अलॉट हुई थी अत ललानिया की भूमि गैरसायल स0 1 की स्वयं अर्जित भूमि है। न्यायायल हाजा में इसी वाद भूमि से संबंधित एक वाद अनवानी कौशल्या बनाम नत्थुराम जैरकार है जिसमें गैरसायल स0 1 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है। रोही मौजा ललानिया की वाद भूमि में सायल व गैरसायलान संख्या 2 ता 5 को कोई हक हिस्सा नही है क्योंकि उक्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 की स्वयं अर्जित भूमि है अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि सायल की दादालाई/पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त भूमि में सायल व गैरसायल 2 व गैरसायल स0 7 ता 8 का बहिब 1/6 हिस्सा व गैरसायल स0 1 व गैरसायल स0 3 ता 6 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायल स0 1 अपने नाम दर्ज भूमि को अजनबी व्यक्तियों को बेचान करना चाहता है यदि गैरसायल संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए सायल गैरसायल संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाना चाहता है कि उक्त वाद भूमि को ताफैसला दावा रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की रोही मौजा लाखासर की वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खान दान की जददी जायदाद होना स्वीकार है लेकिन रोही मौजा ललानिया की वाद भूमि गैरसायल स0 1 को अलॉट हुई थी अत ललानिया की भूमि गैरसायल स0 1 की स्वयं अर्जित भूमि है। न्यायायल हाजा में इसी वाद भूमि से संबंधित एक वाद अनवानी कौशल्या बनाम नत्थुराम जैरकार है जिसमें गैरसायल स0 1 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है। रोही मौजा ललानिया की वाद भूमि में सायल व गैरसायलान संख्या 2 ता 5 को कोई हक हिस्सा नही है क्योंकि उक्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 की स्वयं अर्जित भूमि है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारि[illegible] फर[illegible]।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:57 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं [illegible]क्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का ग[illegible] अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर

नोहर

पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक रोही मौजा लाखासर की वाद भूमि पैतृक है जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत चित्रप्रति अलॉटमेंट पटटा रोही मौजा ललानिया बहक नत्थुराम के मुताबिक रोही मौजा लाखासर की वाद भूमि गैरसायल स0 1 को अलॉट हुई है।

उक्त विचेनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 अगर रोही मौजा लाखासर की वाद भूमि को रहन, बैय करता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी जबकि रोही मौजा ललानिया की वाद भूमि जो की अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अलॉटेड भूमि है में अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी संख्या 1 को होगी अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक बनता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को रोही मौजा लाखासर की वाद भूमि हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित है लेकिन रोही मौजा ललानिया की वाद भूमि में अप्रार्थी स0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा लाखासर के खाता स0 124/120 की कुल 6.5000 हैक्ट भूमि मे अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2022 को रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 63/54 की कुल 3.3650 हैक्ट भूमि में जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/08/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:57 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर